(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों को कागजों पर पूर्ण दिखाया गया है और उनके निर्माण के समय लाभार्थियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ग) इन अनियमितताओं के प्रकाश में आने पर सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापु येरन्नायडु): (क) से (ग) "इन्दिरा आवास योजना" के कार्यान्वयन में कुछ कमियों/अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई करने और मंत्रालय को रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दी गई है।

इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। इन्दिरा आवास योजना के आवासों के निर्माण में किसी ठेकेदार को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। निर्माण के तरीके, डिजाइन और भवन निर्माण सामग्री के चयन के बारे में लाभार्थियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

Career profile in the Armed Forces

*209. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the career profile in the Armed Forces is becoming less attractive;

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto;

(c) whether Government propose to appoint any commission to review the career opportunities in the Armed Forces; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) Judging by the number of applicants for vacancies at the induction level, it cannot be said that a career in the Armed Forces is becoming less attractive. Therefore, Government do not consider it necessary at present to appoint a Commission to review the career opportunities in the Armed Forces.

कुल्लू में अवेरी नामक स्थान पर छावनी की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण

*210. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवेरी नामक स्थान पर छावनी की स्थापना करने हेतु अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या अधिग्रहण कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और किसानों को कुल कितना मुआवजा दिया गया तथा अधिगृहीत की गई सरकारी भूमि का कुल क्षेत्र कितना है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ग) शिमला जिले के कुमसू गांव में राज्य सरकार की 133 बीघा 12 बिस्वा (29 एकड़) भूमि का कब्जा 9 सितंबर, 1994 के पहले ही लिया जा चुका है। अवेरी गांव में 1,256 बीघा 14 बिस्वा (273.54 एकड़) निजी भूमि का अर्जन अंतिम चरण में है। निजी भूमि के मालिकों को भुगतान किए जाने के लिए कुल्लू के उपर्युक्त के पास 1.95 करोड़ रुपए की राशि 26 नवंबर, 96 को जमा करा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अधीन कार्यवाही पूरी न किए जाने के कारण भूमि मालिकों को भुगतान नहीं किया गया है।

भारतीय थल सेना में सैनिकों की भर्ती

*211. **श्री एस० एस० अहलुवालिया**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि थल सेना में सैनिकों की भर्ती राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्य-वार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रणाली के कारण जहां अनेक राज्यों से भर्ती नहीं हो पा रही है वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों के युवकों को, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिससे सेना में सैनिकों एवं अधिकारियों की अभूतपूर्व कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार इस त्रुटि को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (घ) सेना में सैनिकों की भर्ती प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आर०एम०पी०) की संकल्पना के आधार पर उन्हें आबंटित रिक्तियों के अनुसार की जाती है।

भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या (आर०एम०पी०) का आशय देश की 16—25 आयु वर्ग की उस पुरुष जनसंख्या से है जो निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाएं अर्थात् शिक्षा, शारीरिक और चिकित्सीय मानदंड पूरी करती है। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या सामान्यतः देश की पुरुष जनसंख्या का 10% मानी जाती है। राज्यवार भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या पर आधारित भर्ती की यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आजादी के बाद, सेना में समस्त भारत से सभी वर्गों के लोगों को भर्ती करने की सरकार की नीति का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

हालांकि, राज्यों को अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से भर्ती के लिए रिक्तियां आबंटित कर दी जाती हैं, परंतु अनुभव से पता चलता है कि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भर्ती कम होती है। इसके परिणामस्वरूप सेना प्राधिकारी अक्तूबर-नवंबर के दौरान वर्ष की मध्यावधिक समीक्षा करते हैं और तद्नुसार कम भर्ती करने वाले राज्यों से न भरी गई रिक्तियां समायोजित करके अधिक भर्ती करने वाले राज्यों को आबंटित कर दी जाती हैं ताकि शत-प्रतिशत भर्ती लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अतः शुरू में कम भर्ती करने वाले राज्यों को आबंटित रिक्तियों के न भरे जाने को सेना में मौजूदा कमी का कारण नहीं माना जा सकता है।

विवरण

1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या

क्रम सं०	राज्य	जनसंख्या	भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	3372458	7.68%
2.	असम	1165799	2.65%
3.	अरुणाचल प्रदेश	46500	0.11%
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	15437	0.04%
5.	बिहार	4520208	10.29%
6.	चंडीगढ़	35861	0.08%
7.	दिल्ली	515551	1.17%
8.	दमन तथा दीव	5160	0.01%
9.	दादर तथा नगर हवेली	7095	0.02%
10.	गुजरात	2135521	4.86%
11.	गोवा	59479	0.14%
12.	हरियाणा	882747	2.00%
13.	हिमाचल प्रदेश	261747	0.60%
14.	जम्मू तथा कश्मीर	401410	0.91%
15.	कर्नाटक	2295191	5.23%
16.	केरल	1428898	3.25%
17.	लक्षद्वीप	2641	0.01%
18.	महाराष्ट्र	4082562	9.30%
19.	मध्य प्रदेश	3426729	7.80%
20.	मणिपुर	93836	0.21%
21.	मेघालय	90769	0.21%
22.	मिजोरम	35898	0.08%
23.	नागालैंड	64128	0.15%
24.	उड़ीसा	1606415	3.66%
25.	पंजाब	1077803	2.45%
26.	पांडिचेरी	40808	0.09%
27.	राजस्थान	2304278	5.25%
28.	सिक्किम	21643	0.05%
29.	तमिलनाडु	2829898	6.44%
30.	त्रिपुरा	141793	0.32%
31.	उत्तर प्रदेश	7403696	16.86%
32.	पश्चिम बंगाल	3551063	8.08%

Central Directives to beef up security around oil refineries

*212. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Union Home Ministry have directed the Assam Government to